



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस.बी-2, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र,
पटना-800 010

अधिसूचना सं: ३०

पटना, दिनांक: १८.११.२०२१

अधिसूचना

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में निहित प्रावधानों के तहत प्राप्त आवेदनों एवं पर्षद द्वारा निर्गत संचालनार्थ सहमति आदेशों में अंकित इकाई का नाम/आवेदक का नाम एवं पता/स्थान के परिवर्तन/संशोधन हेतु उद्यमियों द्वारा देय शुल्क का भुगतान निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:-

क्र० सं०	लागत पूँजी	निर्धारित शुल्क
1	रुपये 25 लाख तक	रुपये 1000/- (एक हजार रुपये)
2	रुपये 25 लाख से ऊपर एवं रुपये 5 करोड़ तक	रुपये 2000/- (दो हजार रुपये)
3	रुपये 5 करोड़ से ऊपर	रुपये 5000/- (पाँच हजार रुपये)

यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

ह0/-

(एस० चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक: २११२

पटना, दिनांक: १८.११.२०२१

प्रतिलिपि- पर्षद् विश्लेषक/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/सभी सहायक पर्यावरण अभियंता/मिडिया-कन्सल्टेंट / सदस्य सचिव कोषांग / आई० टी० सेक्शन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.11.2021
(एस० चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव